

अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/488/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 12^थ जुलाई, 2013

सेवा में,

श्री अनिल कुमार,
पुत्र स्व. श्री चन्द्रमा सिंह
सी 10/01, दयालपुर, पोस्ट गोकलपुरी,
करावल नगर,
दिल्ली-110094

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 26.06.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 11.7.2013 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 2(च) में यथा परिभाषित 'सूचना' की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है और इसलिए इस लोक प्राधिकारी के पास आपके आर टी आई आवेदन के संबंध में साझा करने के लिए कुछ नहीं है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

Issued
18/7/13
22/7/13

6/11
के.के. पाठक
(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
एवं अवर सचिव (डी पी-11)
दूरभाष: 23092856